ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर–नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्व नगर, उ0प्र0।

पत्रांकः–ग्रे.नो. / आई0टी0 / 2025 / 1607
दिनांकः–05/03 / 2025

सेवा में,

मैसर्स पूजा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड,
भूखण्ड संख्या–15&16, खसरा नम्बर–20 / 2,
ग्राम–नॉगली, सकरावती, नजफगढ,
दिल्ली–110043.

विषयः– **भूखण्ड संख्या–19, सैक्टर–नॉलेज पार्क–5, ग्रेटर नौएडा के निरस्तीकरण आदेश समाप्त किये जाने के शासन के आदेश दिनांक 14.06.2024 के कम में अतिदेयता जमा करने के सन्दर्भ में।**

महोदय,

कृपया आपके द्वारा भूखण्ड संख्या–19,सैक्टर–नॉलेज पार्क–5, ग्रेटर नौएडा के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्गत आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 18.08.2020 के विरूद्व उ0प्र0अर्बन प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट एक्ट,1973 की धारा 41(3) सपठित औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम,1976 की धारा 12 के अन्तर्गत दिनांक 12.03.2024 को योजित पुनरीक्षण याचिका शासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.06.2024 से निस्तारित की गयी है।

उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में कम्पनी को आवंटित भूखण्ड संख्या–19, सैक्टर–नॉलेज पार्क–5, ग्रेटर नौएडा में अतिदेय धनराशियों के सम्बन्ध में कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रिषी चन्देल (कम्पनी के रिज्योलूसन दिनांक 28.02.2025) द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत प्रत्यावेदन / अन्डरटेकिंग दिनांक 28.02.2025 के दृष्टिगत कम्पनी के पक्ष में उक्त भूखण्ड बिना पुर्नस्थापना शुल्क के निम्नानुसार अतिदेयता जमा करने पर पुर्नस्थापित किये जाने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार हैः–

भूखण्ड के सापेक्ष अतिदेयताओं का मदवार विवरणः–

मदों का विवरण	**प्राधिकरण की देयता रू0 में (दिनांक 28.02.2025 तक)**
प्रीमियम रिशि. डिफाल्ट	60,95,45,666 / –
प्रीमियम मेगा रिबेट	19,44,68,477 / –
अतिरिक्त प्रतिकर	16,32,58,197 / –
वार्षिक लीज रेन्ट	13,24,37,723 / –
निर्माण विलम्ब शुल्क (प्रथम चरण)	13,39,17,478 / –
निर्माण विलम्ब शुल्क (सम्पूर्ण परियोजना)	8,51,01,794 / –
कुल योग	131,97,29,335 / –
25 प्रतिशत 60 दिन में देय धनराशि	32,99,32,333.75
स्टाम्प डयूटी	3,01,13,724 / –

आपको प्राधिकरण के अतिदेय देयकों की कुल धनराशि रू0 1,31,97,29,335 / – का 25 प्रतिशत धनराशि रू0 32,99,32,333.75 पत्र निर्गत होने से साठ दिन में 10.50 प्रतिशत ब्याज 28.02.2025 से जमा की तारीख तक देय होगा। इसके साथ ही स्टाम्प डयूटी के मद में देय धनराशि रू0 3,01,13,724 / – कोषागार कार्यालय, गौतमबुद्व नगर में पत्र निर्गत होने की तिथि से पूर्व जमा कराकर चालान की प्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।

आपके द्वारा पुर्ननिर्धारित देयकों की 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराये जाने के उपरान्त परियोजना निर्माण हेतु दाखिल मानचित्र स्वीकृति हेतु औपचारिकताऐं पूर्ण कर अनुमोदित कराना अनिवार्य है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त वर्णित धनराशियों को प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराने के साथ ही तत्काल जमा धनराशियों के चालान की प्रति के साथ सूचना प्राधिकरण को देना सुनिश्चित करें, जिससे अनुमोदन के कम में अग्रिम कार्यवाही करते हुए शेष 75 प्रतिशत देय धनराशि 4 छःमाही अर्थात प्रत्येक किस्त रू0 24,74,49,250/– की मय ब्याज के देयता एवं तिथि का निर्धारण करते हुए पत्र पृथक से निर्गत किया जा सकें। इसके साथ ही आपको यह भी सूच्य है कि अनुमोदनानुसार दिनांक 18.08.2020 से दिनांक 14.06.2024 तक की अवधि के समतुल्य अवधि निर्माण हेतु अतिरिक्त समय निःशुल्क अनुमन्य हो सकेगा।

भवदीय,

(एन0के0सिंह)
विशेष कार्याधिकारी(आई0टी0)

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर/निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एस0के0/एल./पी.) महोदय/महोदया को सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक(वित्त/नियोजन/परियोजना) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी (विधि) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी(आई0टी0)